समानता (Equality)

Dr. Akhlakh Alam
(Asst. Prof.) D.K. College
Dumraon

लास्की, "समानता मूल रूप में समानीकरण की प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए।"

लास्की, "जबतक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान हैं, व्यवहार की समानता असंभव है।"

अल्पादोराय; "यह स्वीकारना कि सभी मनुष्य समान हैं उतना ही गलत है जितना कि यह कहना कि भूमंडल समतल है।"

लास्की ने समानता को दो अर्थ में समझाया है –

(a) विशेषाधिकारों का अभाव (Absence of privileges):– विशेष सुविधाएँ या अधिकार जो समाज के कुछ लोगों को जन्म, जाति, धर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं, उनकी समाप्ति होनी चाहिए।

(b) सभी के लिए समुचित अवसर (Adequate opportunities to all):– राज्य और समाज का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उन समुचित अवसरों को प्रदान करे जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हों।

समानता के दो रूप

(i) Negative Equality:– उन सब विशेषाधिकारों की समाप्ति से है जो जन्म, संपत्ति, धर्म या रंग के आधार पर कुछ लोगों को प्राप्त होते हैं।

(ii) Positive Equality:– सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना है।

समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम (Various dimensions of Equality):–

1. वैधिक या कानूनी समानता (Legal Equality)
2. राजनीतिक " (Political ")
3. सामाजिक " (Social ")
4. आर्थिक " (Economic ")

Scanned with CamScanner

1. वैधिक या कानूनी समानता :– कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं और सभी नागरिकों को कानून का संरक्षण प्राप्त हो। कानूनी समानता में निम्न बातें आती हैं -

(a.) कानून के समक्ष समानता (Equality before law) :– कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, धनी-गरीब, ऊँच-नीच आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आइवर जेनिंग्स, "समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा।"

(b.) कानून का समान संरक्षण (Equal protection of law) :– राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यह U.S.A. की देन है।

(c.) कर्तव्यों के प्रसंग में समानता

(d.) करों के निर्धारण में "

(e.) विवेकसंगत आधार पर भेदभाव मान्य।

2. राजनीतिक समानता :–

(a.) मतदान का अधिकार

(b.) चुनाव में खड़ा होने का अधिकार

(c.) प्रार्थना पत्र का अधिकार

(d.) राजकीय नियुक्तियाँ तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार

(e.) विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार

3. सामाजिक समानता :

(a.) वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ न समझा जाय। कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाना जरूरी है।

(b.) स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त होनी चाहिए।

(c.) सामाजिक समागम (Social Intercourse) :– इसका अर्थ विवाह सम्बन्धों व खान-पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव।

Scanned with CamScanner

4. आर्थिक समानता :-

(a.) सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएँ (भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा आदि) की पूर्ति होनी चाहिए।

(b.) सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए।

(c.) बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंगभंग की स्थिति में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

(d.) पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

(e.) राष्ट्र के संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित नहीं होने चाहिए।

(f.) भीषण आर्थिक असमानताओं का अन्त किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता और समानता का सम्बन्ध :-

(i) स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं :-

इस विचारधारा के समर्थक लार्ड एक्टन व टॉकविले हैं। एक्टन, "समानता की उत्कट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को बेकार कर दिया है।"

(ii) एक दूसरे के पूरक हैं :-

इसके समर्थक लास्की, आर. एच. टॉनी, मेइ, स्मिथ, पोलार्ड, रूसो ने समर्थन किया है।

लास्की, "बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रताओं का कोई मूल्य नहीं है।"

पोलार्ड, "स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, वह समानता में अवस्थित है।"

टॉनी, "समानता स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।"

डॉ. आशीर्वादम, "फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और न मूर्ख, जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था।"

टॉनी, "समानता स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं, उसकी एक आवश्यक शर्त है।"

Scanned with CamScanner